



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03022025-260732
CG-DL-E-03022025-260732

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 589]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 3, 2025/माघ 14, 1946

No. 589]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 3, 2025/MAGHA 14, 1946

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2025

का.आ. 593(अ).—केन्द्रीय सरकार, हज समिति अधिनियम, 2002 (2002 का 35) की धारा 44 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय हज समिति के नियमित कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय सिविल सेवा (सीसीएस) आचरण नियम, 1964 और केन्द्रीय सिविल सेवा (सीसीएस)-वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील (सीसीएस) नियम, 1965 को अंगीकार करती है।

2. उक्त नियमों के अधीन भारतीय हज समिति के नियमित कर्मचारियों के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी और पुनर्विलोकन प्राधिकारी निम्नानुसार होंगे:-

कर्मचारियों का प्रवर्ग	शास्त्रियां	अनुशासनात्मक प्राधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी	पुनर्विलोकन प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सभी नियमित कर्मचारी (अधीक्षक स्तर तक)	छोटी	उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशासन)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय हज समिति	अध्यक्ष, भारतीय हज समिति
सभी नियमित कर्मचारी (अधीक्षक स्तर तक)	बड़ी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय हज समिति	अध्यक्ष, भारतीय हज समिति	संयुक्त सचिव (हज), अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

[फा. सं. HAJ-13/14/2023-HAJ-MoMA]

सीपीएस बक्शी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2025

S.O. 593(E).—In exercise of the powers conferred by section 44 of the Haj Committee Act, 2002 (35 of 2002), the Central Government hereby adopts the Central Civil Services (CCS) Conduct Rules, 1964 and Central Civil Services (CCS)-Classification, Control and Appeal (CCA) Rules, 1965 for the regular employees of Haj Committee of India.

2. Under the said rules, the Disciplinary Authority, Appellate Authority and Reviewing Authority for regular employees of Haj Committee of India shall be as follows:—

Category of Employees	Penalties	Disciplinary Authority	Appellate Authority	Reviewing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
All regular employees (upto level of Superintendent)	Minor	Deputy Chief Executive Officer (Administration), Haj Committee of India	Chief Executive Officer, Haj Committee of India	Chairperson, Haj Committee of India
All regular employees (upto level of Superintendent)	Major	Chief Executive Officer, Haj Committee of India	Chairperson, Haj Committee of India	Joint Secretary (Haj), Ministry of Minority Affairs

[F. No. HAJ-13/14/2023-HAJ-MoMA]

CPS BAKSHI, Jt. Secy.